स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

मैसर्स ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड और अन्य

(सी.ए. संख्या 11907/2018 में एम.ए. संख्या 320/2019)

12 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जेजे.]

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 136 सपठित अनुच्छेद 142 – इसके तहत शक्ति – उसका प्रयोग – तथ्यों पर, पार्टियों के बीच निपटान समझौते पर – प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि तक ब्याज 8% प्रति वर्ष के रूप में 600 करोड़ रुपये का भुगतान – निर्णय : समझौता करार के तहत उत्पन्न सभी देनदारियां पूरी की गयी हैं – इस प्रकार, अनुच्छेद 136/142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, समझौतों से उत्पन्न हुईं कार्यवाही–एफ.आई.आर., प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ई.सी.आई.आर., कारण बताओ नोटिस और शिकायतें, रद्द किए गए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विविध आवेदन संख्या 320 वर्ष 2019

में

सिविल अपील संख्या 11907 वर्ष 2018

निष्पादन याचिका संख्या 337 वर्ष 2014 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 09.03.2015 के निर्णय और आदेश से।

दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी लाल, तारकेश्वर नाथ, हिरेन दासन, मधु सूदन भयाना, एम.के. त्रिपाठी, श्रीमती सरला चंद्रा, गौतम मित्रा, पंकज बाघला, गौरव मित्रा, रिशद मेडोरा, आविष्कार सिंघवी, सुश्री दीपाली द्विवेदी, समर कछवाहा, निपुण कत्याल, मोहित डी. राम, सुश्री बीनू

टम्टा, श्रीमती अनिल कटियार, शिव मंगल शर्मा, सुश्री अंजू जैन, हितेश सचर, सुश्री श्रुति किरण, पेश पक्षों की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :

आदेश

1. इस न्यायालय द्वारा पारित 6 दिसंबर, 2018 के आदेश के अनुसार, हमें भारतीय राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.ए. दवे और प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल द्वारा सूचित किया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा 28 फरवरी 2019 तक ब्याज के रूप में 600 करोड़ रुपये की राशि @ 8% प्रतिवर्ष, का भुगतान कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 15–11–2010 के समझौता करार और दिनांक 17–05–2012 के अन्य समझौता करार के अंतर्गत सभी देयताएं पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एस.टी.सी. की ओर से यह कहा गया है कि उपरोक्त समझौतों से उत्पन्न प्रतिवादियों के खिलाफ अपीलकर्ताओं का कोई और दावा नहीं है।

2. परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निम्नलिखित कार्यवाहियों को रद्द करते हैं जो ऊपर उल्लिखित समझौतों से उत्पन्न हुई हैं:

   i. राज्य व्यापार निगम के परिवाद पर सी.बी.आई. द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. आर. सी. संख्या– 217/2017/ए0005/सीबीआई/एसीयू–6/एसी–2/नई दिल्ली।

   ii. सी बी आई द्वारा की गयी एफ.आई.आर. जिस पर ECIR संख्या – ECIR/03 DZ–I/2017 दिनांकित 29.03.2017 अंकित है, के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा E.C.I.R.

   iii. भारतीय उच्चायोग, पासपोर्ट और कांसुलर विंग, इंडिया हाउस, लंदन द्वारा दिनांक 29.12.2017 को जारी कारण बताओ नोटिस।

iv. उपर्युक्त करारों से उत्पन्न प्राधिकारियों और/अथवा एजेंसियों द्वारा श्री प्रमोद मित्तल अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके बच्चों के विरुद्ध जारी किया गया कोई लुक आउट नोटिस।

v. पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री धर्मेंद्र कुमार की अदालत के समक्ष धारा 420 और 409 आईपीसी के तहत ग्यारह लंबित शिकायतें।

3. श्री डीए दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने मुवक्किलों के निर्देश पर आगे कहा कि चूंकि ऊपर उल्लिखित समझौतों के तहत एस.टी.सी. को देय राशि का भुगतान किया गया था, इसलिए वह जी.एस.एच.आई.एल. – प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ आइज़ल ऑफ़ मान न्यायलय में उसके द्वारा स्थापित विंडिंग–अप कार्यवाही पर मुकदमा नहीं चलाएगा। हम एस.टी.सी. द्वारा दिए गए उक्त वक्तव्य को रिकॉर्ड में लेते हैं।

एम.ए. संख्या 320/2019, लागत के बारे में कोई आदेश के बिना उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

निधि जैन एम.ए. का निपटान।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.



Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : A/S0567/2023
Contact No. : 8896551733